प्र.सं. 10/2020 नाथू व अन्य बनाम पारू व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सेन्ड मोटी, पटवार हल्का खूँटागलिया, तहसील गांगड़तलाई में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 126 से 132, 134 से 138, 155 से 158, 207, 220 से 224, 227 से 230, 234 से 236, 246, 316 व 317 कुल किता 32 रकबा 7.8400 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 3/4 हिस्सा एवं जलिया पिता लेमजी का 1/4 हिस्सा निहित है। जलिया के कोई संतान नहीं होने से वादी को गोद पुत्र के रूप में ग्रहण किया, जिससे वादी स्वर्गीय जलिया के 1/4 हिस्से पर काबिज चला आ रहा है, किन्तु जलिया के मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादी के दत्तक पिता की भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली, जबकि मृतक जलिया का एक मात्र उत्तराधिकारी वादी है। अतः विवादित आराजियात के 1/4 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 22.06.2018 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 08.10.2020 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुई। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ... रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा झगड़ा करने पर उक्त निर्णय ... की जानकारी हुई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ... शपथ पत्र भी पेश किये। हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रकरण में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:38 IST
Reason: SelfAttested

उप-प्रबन्ध अधिकारी
एवं सदस्य राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को त्रुटि पूर्ण बताते हुए प्रकरण रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। चूंकि इसी आराजियात बाबत् इन्हीं पक्षकारों द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 1/2018 एवं 2/2018 आज दिनांक को ही स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है। तदनुसार इस प्रकरण का निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 1/2018 व 2/2018 में दिये गये निर्देशों अनुसार प्रतिप्रेषित की जाती है। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.06.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 04.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:38 IST
Reason: SelfAttested